न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:—श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 203/2020 (GCMS No. 2020/00203) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामनिवास
2. छीतरमल
3. मोतीलाल
4. रामजीलाल
5. घनश्याम

पिसरान स्व. गुटठल जाति कुम्हार निवासी ग्राम खेडावाढ रामगढ तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

..... अपीलान्टस

बनाम

1. कन्हैया
2. बजरंगा

पिसरान भूभत्या, जाति कुम्हार निवासी खेडावाढ रामगढ तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

3. हजारी
4. हरिया

पिसरान लटूर, जाति कुम्हार निवासी खेडावाढ रामगढ तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

5. मानकंवर धर्मपत्नि हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी नागनवास तहसील वामनवास जिला सवाई माधोपुर।
6. तहसीलदार लैण्ड होल्डर, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर प्रकरण संख्या 307/2014 उनवानी रामनिवास बनाम कन्हैया निर्णय दिनांक 10.08.2016 व सिलसिले नामान्तकरण संख्या 546 बांके ग्राम रामगढ मुराडा ग्राम पंचायत खेडावाढ रामगढ जिला सवाई माधोपुर

उपस्थिति:— 1. श्री मोहनसिंह राना, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या— 6

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

निर्णय

दिनांक– 17.04.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 10.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर में अपील संख्या 307/14 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 546 दिनांक 04.06.2007 दायर की गई। उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुने जाने के पश्चात् अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया तथा तहसीलदार गंगापुरसिटी द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण 546 दिनांक 04.06.2007 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टस व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 लगायत 5 के बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 30.05.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3. दोनों बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथनों को देहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। आराजी भूमि खसरा नम्बर 181/02 रकवा 10 बीघा भूमि अपीलान्टान के पिता गुटठल को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई थी जिसका नामान्तकरण संख्या 550 दिनांक 13.06.1975 को अपीलान्टान के पिता गुटठल को स्वीकृत करते हुये संवत 2025 की जमाबन्दी में अपीलान्टान के पिता के नाम दर्ज किया गया। संवत 2026 लगायत 2030 की गिरदावरी में गैरखातेदारी से खातेदारी का इन्द्राज अपीलान्टान के पिता के नाम अमल किया गया। दौराने भू प्रबंध कार्यवाही भू प्रबंध कर्मचारियों द्वारा अपीलान्टान के पिता गुटठल के साथ रेस्पोडैन्ट सं. 1 लगायत 4 के नाम 2/3 हिस्से के सह खातेदार दर्ज करते हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया जिसकी दुरूस्ती के लिए अपीलान्टान की ओर से उपजिला कलक्टर गंगापुर सिटी के यहॉ दावा घोषणात्मक एवं इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। इस दावा में हाल खसरा नम्बर 1591 रकवा 3.21 है0 के लिए विरूद्ध रेस्पोडैन्ट दिनांक 25.03.2000 को न्यायालय में विरूद्ध रेस्पोडैन्ट अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। यह

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2006 को ताफैसला दावा कन्फर्म की गई। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 लगा. 4 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द होने के बावजूद भी बिना टाईटल के दिनांक 18.05.2007 को रेस्पोडैन्ट संख्या 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया। गलत रूप से किये गये विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार गंगापुरसिटी द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.06.2007 के द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 546 खिलाफ कानून स्वीकृत किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण के विरूद्ध पेश कर दी अपील न्यायालय ने इस बिन्दु पर कतई ध्यान नहीं दिया कि न्यायालय से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभाव में रहते हुये यदि कोई नामान्तकरण स्वीकृत किया जाता है तो वह नामान्तकरण बोइड है और जिसे यथावत रखा जाना न्याय संगत नहीं है लेकिन अपील न्यायालय ने प्रकरण में एक नया मोड देकर फाईडिंग के साथ अपील अपीलान्ट निरस्त की है कि जब तक वयनामा निरस्त नहीं हो जाता है तब तक नामान्तकरण को निरस्त किया जाना न्यायहित नहीं है। चूँकि रेस्पोडैन्ट के राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे इन्द्राजों की दुरूस्त के संबंध में दावा पेश करने के उपरान्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी थी और रेस्पोडैन्ट के इन्द्राज में सबजुडिश थे तब रेस्पोडैन्ट को आराजी वय करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था और उनका यह कृत्य धारा 52 ट्रांसफर प्रोपर्टी एक्ट के विरूद्ध था जिसके आधार पर प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 546 कानूनन स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्टान को कोई नोटिस नहीं दिया गया न स्वत्व कब्जे की जॉच की जिससे अपीलान्टान का केस पूर्ण रूप से प्रीज्यूडिस हुआ। इस बिन्दु को भी न्यायालय अपील ने नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून पारित किया है। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2016 एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 546 दिनांक 04.06.2007 निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें। अपीलान्टान अधिवक्ता द्वारा अपील के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय जयपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की नजीर आरआरडी 1989 पेज 224, आरबीजे 2013 एससी 569, आरआरडी 1994 पेज 503, डीएनजे राज 2017(1) पेज 285, आरबीजे 2010 पेज 462 एवं आरआरटी 2020(1) पेज 37 प्रस्तुत किये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. हमने अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक तथा राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय न्यायालयों की प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1591 रकवा 3.21 हैक्टै. वांके ग्राम रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी के संबधं में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा नामान्तकरण संख्या 1541 दिनांक 04.06.2007 को रेस्पो. संख्या 5 के हक में गुताविक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2007 से रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 द्वारा किये गये बेचान के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट के पिता गुट्ठल द्वारा दिनांक 24.07.2007 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुरसिटी के यहां घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व अस्थायी निषेधाज्ञा का दावा दिनांक 25.03.2000 को दायर किया। न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2006 को ताफैसला दावा उभयपक्षकारान को इस आशय से पाबन्द किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1591 रकवा 3.21 हैक्टै. स्थित वांके ग्राम रामगढ मुराडा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के बावजूद भी रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 के द्वारा दिनांक 18.05.2000 को जरिये पंजीकृत वयनाम विवादित आराजी को रेस्पो. संख्या 5 को बेचान कर दिया। तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 04.06.2007 को अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभावी रहने के दौरान विवादित आराजी को नामान्तकरण संख्या 546 रेस्पो. सं. 5 के हक में स्वीकार किया। इस संबधं में अपीलान्ट के पिता द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम (2)अ सी.पी.सी. को पेश किया जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 12.04.2010 को रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 को 3–3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने उक्त आदेश की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के यहां की। न्यायालय

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 29.08.2011 को अपील खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुरसिटी के निर्णय बावत् प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.3.2009 जो अपीलान्ट के पिता की ओर से रेस्पो. संख्या 1 व अन्य के विरूद्ध दायर किया गया, में पारित करते हुये रेस्पो. संख्या 5 श्रीमती मानकंवर व उसके पति हनुमानसिंह को ताफैसला अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि अपीलान्ट के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें साथ ही तहसीलदार गंगापुर सिटी व सरपंच ग्राम पंचायत खेडा रामगढ को भी पाबन्द किया गया कि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2005 को श्रीमती मानकंवर के हक में नामान्तकरण नहीं खोलें।

6. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय के मत में दिनांक 31.07.2006 को राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के स्पष्ट आदेश के पश्चात विवादित आराजी को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2007 के माध्यम से रेस्पो. संख्या 5 के हक में नामान्तकरण संख्या 541 दिनांक 04.06.2007 खोला गया जो किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।
7. उक्त नामान्तकरण की अपील अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहां की गई जिसके द्वारा दिनांक 10.08.2016 को अपील खारिज की गई। न्यायालय के मत में स्थगन के संबंध में अपीलाधीन आदेश में उल्लेख किया जाना चाहिए था। जो अपीलीय न्यायालय ने नहीं किया।अपीलाधीन नामान्तरकण संख्या 546 दिनांक 04.06.2007 अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभावी रहने के दौरान स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।
8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2016 व नामान्तकरण संख्या 546 दिनांक 04.06.2007 वाके ग्राम रामगढ मुराडा ग्राम पंचायत खेडाबाढ रामगढ निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.04.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर